मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2003—2004

मंत्री	श्री बाबूलाल गौर
प्रमुख सचिव	श्री डी.एस.माथुर
आयुक्त सह सचिव	श्री एम.ए.खान (दिनांक17.6.2004 तक)
	श्री एम.गोपाल रेड्डी (दिनांक 18.6.2004 से)
उप सचिव	श्री बी.एस.बघेल
अवर सचिव	श्री आर.के.कोरी
अवर सचिव	श्री एन.के.यादव

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार का हर विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यो का लेखाजोखा वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है । इसी परिपाटी का निर्वाह करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है ।

(डी.एस.माथुर)
प्रमुख सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

भोपाल
दिनांक जून, 2004

::भाग–एक::

(1.1) विभागीय संरचना

मध्यप्रदेश सरकार का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश के नगरीय निकायों यथा नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है । यह विभाग भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा प्रवर्तित शहरी गरीबी उन्मूलन की रोजगार मूलक योजनाएं भी नगरीय निकायों के सहयोग से संचालित करता है । विभाग के अधीन स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण परिशिष्ठ–एक पर दर्शाया गया है ।

नगरीय निकायों को उच्च तकनीकी मार्गदर्शन और सेवाएं देने के लिए संचालनालय में यांत्रिकी प्रकोष्ठ स्थापित है जिसकी शाखाएं संभागीय स्तर पर उप–संचालक के कार्यालय में हैं । इसी प्रकार शहरी गरीबी उन्मूलन की येाजनाओं के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सभी 45 जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं । राज्य स्तर पर भी विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण गठित है और आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास इसके पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं ।

1.2 मध्यप्रदेश में कुल 337 नगरपालिक निकाय हैं जिनमें 14 नगर निगम, 86 नगरपालिका परिषदें और 237 नगर पंचायतें हैं ।

1.3 नगरीय निकायों का जिलेवार विवरण परिशिष्ठ–दो में दिया गया है ।

1.4 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम निम्नानुसार है :–

1. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
2. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
3. पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
4. विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
5. सिंहस्थ मेला अधिनियम
6. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
7. स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)

8 मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

9 मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निमूर्लन) अधिनियम, 1976

10 मध्यप्रदेश साईकल रिक्शा (अनुज्ञाप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक–36 सन, 1984)

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के संचालन के लिए क्रमशः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 बनाये गये हैं । इन अधिनियमों में निकायों के गठन, परिषदों के निर्वाचन, उनके कार्य संचालन, कर्त्तव्यों, शक्तियों और राज्य सरकार की भूमिका संबंधी विस्तृत प्रावधान है । उक्त अधिनियमों में नगरीय निकायों के वित्तीय स्त्रोतों और लगाये जाने वाले करों ओर फीस के बारे में स्पष्ट प्रावधान है ।

प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी हैं । विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है । नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किया जाता है ।

::भाग–दो::

(बजट)

प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता स्वीकृत करती है । इसके लिये विभाग के बजट में प्रावधान किया जाता है । विभाग के वर्ष 2003–2004 के बजट में नगरीय निकायों के लिये निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

(1)	आयोजना	226.2516 करोड़
(2)	आयोजनेत्तर	700.9906 करोड़
	योग	927.2422 करोड़

विभाग के आयोजना मद में मुख्य रूप से सिंहस्थ मेले के लिये किया गया प्रावधान रूपये 151.4261 करोड़ का शामिल है । आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को चुंगीकर, यात्री कर से हुई हानि, सड़को के मरम्मत और मूलभूत कार्यो के लिये अनुदान की राशि शामिल रहती है ।

वर्ष 2003–2004 में आयोजना और आयोजनेत्तर मदों में प्रावधानित राशि और प्राप्त आवंटन का विवरण परिशिष्ट–तीन पर है ।

भाग–तीन

राष्ट्रीय और प्रादेशिक योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू है । इस योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है जबकि 25 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है । शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड इस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह आय रूपये 522.64 से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 9,22,000 है ।

इस येाजना के प्रमुख कार्यक्रम और लक्ष्य इस प्रकार है :–

1.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिये आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है ।

1.2 स्वरोजगार के लिये रूपये 50 हजार तक की परियेाजनाओं के लिये परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 7500/– अनुदान दिया जाता है । 80 प्रतिशत ऋण बैंक देते है । और 5 प्रतिशत सीमान्त राशि हितग्राही को लगाना होती है ।

1.3 स्वरोजगार कार्यक्रम में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत विकलांग हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश हैं । इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किये जाने के निर्देश है ।

1.4 हितग्राहियों के कौशल उन्नयन के लिये विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है । जिनमें रूपये 2,000 प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है । प्रशिक्षण अवधि कम से कम 300 घंटे होना चाहिये ।

1.5 महिला और बच्चों के विकास कार्यक्रम में कम से कम 10 महिला हितग्राहियों

के एक समूह को अधिकतम रूपये 1.25 लाख या परियेाजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है । 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राहियों द्वारा लगायी जाती है और शेष राशि ऋण के रूप में बैंको से मिलती है ।

1.6 बचत और साख समिति घटक के तहत गरीब परिवारों की समिति गठित की जाती है जिसमें उन्हें छोटी छोटी बचत करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जरूरत के समय वे समिति से ऋण प्राप्त कर सकें ।

1.7 शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । इस कार्यक्रम में निर्माण कार्य में सामग्री और श्रम पर खर्च का अनुपात 60:40 निर्धारित है । यह कार्यक्रम इस समय प्रदेश की नगर पंचायतों में लागू हे ।

1.8 येाजना के सामुदायिक संगठन घटक में सामुदायिक विकास समितियें के माध्यम से गरीबों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य , बालबाडी आदि गतिविधियां चलायी जाती है ।

1.9 <u>प्राप्त केन्द्रांश और राज्यांश</u>

येाजना के अंतर्गत वर्ष 2003–2004 में माह मार्च 2004 तक प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :–

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	योग
1	2002–2003	683.93	227.97	911.90
2	2003–2004 (माह मार्च तक)	818.32	149.71	968.03

1.10 इस योजना के तहत वर्ष 2003–2004 के लिये नियत लक्ष्य और उसके विरूद्व माह मार्च 2004 तक की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रूपये लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	रूपये लक्ष्य	हितग्राही	रूपये. उपलब्धि	
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	174.90	2332	184.64	3767 हितग्राही
2	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (प्रशिक्षण)	475.13	23757	181.66	9353 प्रशिक्षणार्थी

3	अधोसंरचना सहायता	117.21	—	49.54	148 सेवाकेन्द्र
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	361.07	240716 मानव दिवस	135.92	77269 मानवदिवस
5	महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम (अनुदान)	253.75	203 समूह	91.549	103 समूह
6	बचत एवं साख समिति	351.64	1407 समिति	74.02	735 समिति
7	सामुदायिक सगंठन घटक	306.11	—	105.955	619 बालबाडियां
8	सूचना शिक्षा एवं संप्रेक्षण	—	—	27.66	—
9	स्थानीय निकायों का सुदृढीकरण	—	—	28.10	—
10	प्रशासकीय व्यय	—	—	219.27	—
	योग	—	—	1048.31	—

टीपः—योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के संकेत के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है ।

2. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम भारत सरकार के शत—प्रतिशत सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में भारत सरकार से 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है । कार्यक्रम के तहत प्रदेश के शहरों की घोषित गंदी बस्तियों में आबादी के आधार पर नीचे बताये गये कार्यो के लिए जिलों को आवंटन दिया जाता है । सभी निर्माण कार्य नगरीय निकायों के माध्यम से कराये जाते हैं ।

2.1 भौतिक मूलभूत सुविधायें

भौतिक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत जलआपूर्ति, सामुदायिक स्नानगृह, भूमिगत नालियां, सामुदायिक शौचालय, सडक बत्तियां, गंदे पानी की निकासी आदि की व्यवस्था की जाती है ।

2.2 भौतिक अधोसरंचना

भौतिक अधोसरंचना के तहत सड़कें, भूमिगत जल–मल निकास, सतही नालियों आदि का निर्माण कराया जाता है ।

2.3 सामाजिक अधोसरंचना

इसके अंतर्गत आवास, आश्रय उन्नयन, पूर्व स्कूल शिक्षा के अलावा वयस्क शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक भवन निर्माण आदि की व्यवस्था की जाती है ।

2.4 आवंटन और उपलब्धि

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में वर्ष 2002–2003 और वर्ष 2003–2004 में माह मार्च 2004 तक भारत सरकार से प्राप्त राशि, जिलों को जारी आवंटन और भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(रूपये लाखों में)

स.क्र.	वर्ष	प्राप्त आवंटन	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत
1	2002–2003	1611.00	241345	1558.27	194784	96.73
2	2003–2004	2352.00	294000	913.68	114210	38.85

टीप :– लोक सभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से राशि का उपयोग नहीं हो सका है ।

3 <u>वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना</u>

3.1 यह योजना 1 अप्रेल 2002 से प्रदेश में लागू है । इस योजना का उददेश्य शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और कमजोर वर्ग के ऐसे झुग्गीवासियों को जिनके पास उपयुक्त आवास नहीं है, को आवास बनाने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ।

3.2 इसी योजना के साथ निर्मल भारत अभियान के नाम से एक सह योजना भी लागू की गई है, जिसका उददेश्य मलिन बस्तियों (अर्थात झुग्गी बस्तियों) में सामुदायिक शौचालयों और पेयजल की बेहतर सुविधा प्रदान करना है ।

3.3 योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में रूपये 50

हजार और शेष नगरों में रूपये 40 हजार प्रति आवासगृह के मान से आर्थिक सहायता हुडको के माध्यम से दी जाती है । जिसमें 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से अनुदान के रूप में और शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होती है ।

3.4 इस योजना के अंतर्गत 280 नगरीय निकायों के प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं । जिनमें से 161 नगरों के 169 परियोजना प्रस्ताव हुडको द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर दिये गये हैं । इन प्रस्तावों में रूपये 122.36 करोड की लागत से 25079 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है ।

3.5 वित्तीय वर्ष 2002–2003 में भारत सरकार से 14 नगरों की 16 परियेाजनाओं में 4664 आवासगृह और 170 सीट सामुदायिक शौचालयों के लिये रूपये 934.78 लाख की राशि प्राप्त हुई । चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में भारत सरकार से रूपये 801 लाख के आवंटन के संकेत है जिसके विरूद्व रूपये 255.22 लाख की राशि प्राप्त हुई है और 1214 मकानों की एक योजना में स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें रूपये 303.50 लाख का आवंटन प्राप्त होना अपेक्षित है । योजनांतर्गत वर्तमान तक 840 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 1648 मकानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है । इसके अतिरिक्त कुल 2193 मकानों के निर्माण की प्राक्रिया पूर्ण कर कार्य शुरू कराया जा रहा है ।

4. <u>शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तन</u>

4.1 प्रदेश के शहरों और कस्बो में स्थित शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की योजना राज्य की सर्वोच्य प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है । इस योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थित इस प्रकार है :–

क्रमांक	वर्ष 1999–2000 में चिन्हित शुष्क शौचालयों की संख्या	परिवर्तित शौचालयों की संख्या	शेष बचे शौचालयों की संख्या
1	506571	505056	1515

इस कार्य को स्वप्रेरणा से पूरा कराने के निर्देश प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को दिए गए हैं ।

4.2 प्रदेश में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अंगीकृत किया जा चुका है और प्रदेश की सभी 336 नगरीय निकायों के क्षेत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम लागू किया गया है ।

4.3 प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा क्रमशः मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 208 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 196 के तहत शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में बदलने के लिए समय सीमा में कार्रवाई पूर्ण करने के लिए धारितों के विरूद्व कार्यवाही की जा रही है ।

4.4 शेष बचे 1515 शुष्क शौचालयों के परिवर्तन का कार्य विभागीय बजट से किया जाना लक्षित है ।

5. <u>जन श्री बीमा योजना</u>

5.1 यह योजना नगरीय क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों एवं ''ए'' क्लास मंडी समितियों के हम्मालों के लिये भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से 26 जनवरी 2001 से एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की गई थी एवं वर्तमान में यह योजना समस्त नगरीय निकायों में लागू है । इस कारण पूर्व संचालित सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना समाप्त की गई है ।

5.2 इस येाजना के तहत एक सदस्य की प्रीमियम की राशि रूपये 200/– है । इसमें से रूपये 100/– भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित सामाजिक सुरक्षा कोष से एवं शेष राशि रूपये 100/–हितग्राही द्वारा जमा की जाती है । हितग्राही के पक्ष में शासन द्वारा कोई राशि देय नहीं है ।

5.3 बीमाधनः– बीमित सदस्य का बीमाधन रूपये 20000/–है, अर्थात सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को उक्त राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाती है ।

दुर्घटना बीमा लाभ :–

1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 50000/–
2. दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रूपये 50000/–
3. दुर्घटना में दो ऑख और दो हाथ पांव या एक आख और एक हाथ या पावं अक्षम होने पर रूपये 50000/–
4. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पावं से अक्षम होने पर रूपये 25000/– की धनराशि देय होती है ।

5.4 जनश्री बीमा योजना में माह मार्च 2004 तक 1257 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

(ब) प्रादेशिक योजनाएं

1 राजीव स्वावलंबन योजना

1.1 शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे शिक्षित बेरोजगारों, विकलांगों, बेसहारा और परित्यक्ता महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामान्य और अन्य पिछडा वर्गो के बेरोजगारों को अपना रोजगार स्थापित कर स्वावलम्बी बनाने के लिए इस योजना के तहत नगरीय निकाय दुकानें और गुमटियां बनाकर किराये पर उपलब्ध कराती है । इन दुकानों के निर्माण के लिए निकाय धनराशि की व्यवस्था स्वयं करती हैं ।

1.2 योजनांतर्गत प्रदेश की उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

निर्मित दुकानों की संख्या	आवंटित दुकानों की संख्या	निर्माणाधीन दुकानों की संख्या	गुमटियों की संख्या
649	276	448	104

1.3 उपर्युक्त योजना के तहत 5000 से भी अधिक दुकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये निकायों द्वारा भूमि प्राप्त करने और धनराशि की व्यवस्था करने की कार्रवाई की जा रही है ।

1.4 दुकानों के निर्माण तथा आवंटन की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट–चार पर है ।

2 राजीव गांधी आश्रय योजना

योजनांतर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 1998 में 1,46,687 स्थाई और 20528 अस्थाई (कुल 1,67,215) पटटे बांटे गए । इसी प्रकार नगरों के पॉच किलोमीटर के दायरे में 30383 स्थाई और 4999 अस्थाई (कुल 35382) पटटे पूर्व में बांटे गये थे इसके बाद राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मार्च 2004 की स्थिति में 27,882 स्थायी, 4277 अस्थायी इस प्रकार कुल 32159 पट्टे वितरित किये गये हैं

3. पर्यावरण सुधार योजना

इस योजना में नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में बसी मलिन बस्तियों के

रहवासियों को पेयजल, नाली, सड़क, बिजली और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा देने की व्यवस्था है । गत वर्ष इस योजना पर रूपये 141.17 लाख खर्च किये गये और इस योजना का लाभ 17646 लोगों को मिला । इस वर्ष मार्च 2004 तक योजना के तहत रूपये 169.42 लाख के व्यय द्वारा 21178 लोगों को लाभान्वित किया गया ।

4. भोपाल स्लम नेटवर्किंग योजना

4.1 प्रदेश सरकार ने भोपाल शहर की 267 झुग्गी बस्तियों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं जुटाकर उन्हें शहर की नागरिक अधोसंरचना से समेकित करने का निर्णय लिया है । योजनांतर्गत किसी भी झुग्गी को उसके वर्तमान स्थान से हटाया नहीं जायेगा ।

4.2 भोपाल शहर में लगभग 80000 परिवार झुग्गी झोपडियों में रहते हैं । शहर में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत 8679 झुग्गी वासियों को अस्थाई और 22203 झुग्गीवासियों को स्थाई पटटे आवंटित किये गये हैं ।

4.3 योजना के पहले चरण में 5000 परिवारों की बसाहट में रूपये 4.5 करोड की लागत से 2 वर्ष में विकास कार्य पूर्ण कराया जावेगा । द्वितीय चरण में रूपये 154.00 करोड की लागत से 75000 परिवारों को लाभांवित किया जावेगा । विकास कार्य में 7 से 9 वर्ष लगना संभावित है ।

4.4 इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व नगर निगम भोपाल को सौंपा गया है । योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन के निर्माण उन 6 झुग्गी बस्तियों में शुरू हो गये हैं जिनका पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है । प्रथम चरण में होने वाले विकास कार्यो के लिये राज्य शासन द्वारा अब तक रूपये 80 लाख की राशि नगर पालिक निगम भोपाल को उपलब्ध कराई जा चुकी है । जिन 6 झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हो चुका है वे (1) राहुलनगर, पम्पापुर (2) जयभीम नगर/दुर्गानगर (3) इन्दिरा नगर (4) जाटखेडी (5) सत्यसायी नगर (6) छत्तीसगढ बस्ती,हैं ।

(स) प्रदेश सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनायें

5. एशियाई विकास बैंक से सहायता

5.1 प्रदेश के 6 बड़े शहरों यथा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम शहरों में अधोसंरचना के विकास, पर्यावरण सुधार एवं नगर निगमों की प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग ने एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बारे में वर्ष 2001 में पहल की थी । एशियाई विकास बैंक ने इसके लिए माह नवम्बर 2001 में रूपये 5.29 करोड़ की लागत से ''प्रोजेक्ट प्रीपेटरी

टेक्नीकल एसीसटेंस'' (PPTA) का अनुदान प्रदान कर माह मई 2002 में जी.एच.के. इन्टरनेशनल, लंदन (यू.के.) को कन्सलटेंट नियुक्त किया था । कन्सलटेंट द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माह मार्च, 2003 में अपना प्रतिवेदन एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत किया गया ।

5.2 कन्सलटेंट द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ''एड–मेमायर'' पर दिनांक 12.7.2003 को सहमति दी गई थी । जिसके आधार पर एशियाई विकास बैंक ने ''केपेसीटी बिल्डिंग फार प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एण्ड कम्युनिटी मोबीलाईजेशन'' के लिए पुनः कन्सलटेंट नियुक्त कर दिया है । यह कन्सल्टेंट माह सितम्बर, 2003 से चयनित शहरों में परियोजनाओं के चयन, उनके विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ कन्सलटेंट के चयन और संबंधित नगरपालिक निगमों के अमले को प्रशिक्षित करने की दिशा में अपना कार्य कर रहा है ।

5.3 इस बारे में राज्य शासन द्वारा बैंक और भारत सरकार के साथ माह नवम्बर, 2003 में त्रि–पक्षीय अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है । जिसके अनुसार प्राप्त होने वाला ऋण राज्य शासन को 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होगा । ऋण का पुर्नभुगतान प्रथम 5 वर्षो के बाद 20 वर्षो में किया जावेगा । परियोजना का क्रियान्वयन संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा किया जायेगा और प्रदेश स्तर पर परियोजना का पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन करने का दायित्व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा । इसके लिए राज्य सरकार ने संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन ''प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट'' का गठन कर दिया है ।

5.4 एशियाई विकास बैंक की सहायता से चयनित शहरों में जल आपूर्ति, जलमल का प्रवाह और स्वच्छता, निकास नालियां और ठोस अपशिष्ट निपटान का प्रबंध और परिवहन व्यवस्था सहित नागरिक सहभागिता के कार्य किये जायेगें । स्वीकृत परियोजना कुल रूपये 303.5 मिलियन डॉलर (अनुमानित रूपये 1500 करोड़) की है जिसमें विभिन्न स्त्रोतों से निम्नानुसार धनराशि प्राप्त होगी :–

(1)	एशियाई विकास बैंक	–	200.00 मिलियन डॉलर (अनुमानित रू. 1000 करोड़)
(2)	यू.एन.हेबीटेट	–	0.5 मिलियन डॉलर (अनुमानित रू. 00.25 करोड़)
(3)	मध्यप्रदेश शासन का अंशदान	–	50.6 मिलियन डॉलर (अनुमानित रू. 253.00 करोड़)
(4)	परियोजना शहर का अशंदान	–	52.4 मिलियन डॉलर (अनुमानित रू. 262.00 करोड़)

5.5 उपर्युक्तानुसार पूरी परियोजना के लिए काउंटरपार्ट फण्डिंग के रूप में राज्य सरकार को लगभग 253 करोड़ रूपये का अशंदान देना होगा । इस राशि की व्यवस्था 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर विभाग को वर्ष 2004–2005 में मिलने वाले अनुदान से करना प्रस्तावित है ।

6. भोपाल शहर में 50000 आवासगृहों के निर्माण की योजना–

6.1 प्रवासी आवासहीन लोगों के लिये वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजनांतर्गत भोपाल शहर में 50000 आवासगृहों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इसके प्रथम चरण में 10000 मकानों के निर्माण के लिये निम्न निर्माण एजेंसियों का चयन किया जा चुका है :–

नगर निगम भोपाल	3200 आवासगृह
म.प्र.गृह निर्माण मंडल	2000 आवासगृह
म.प्र.सहकारी आवास संघ	3500 आवासगृह
भोपाल विकास प्राधिकरण	1300 आवासगृह

6.2 उपर्युक्त निर्माण एजेंसियों में से नगर निगम भोपाल के 1879 आवासगृहों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है और आवासगृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

6.3 आवास संघ ने 1214 आवासगृहों की योजना तैयार की है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है राशि प्राप्त होना अपेक्षित है एवं नगर निगम ने 1063 आवासगृहों की एक अन्य योजना तैयार की है । ये दोनों योजनाएं भारत सरकार में स्वीकृति के लिये विचाराधीन है । इसी प्रकार भोपाल विकास प्राधिकरण ने 583 आवासगृहों की योजना तेयार कर ली है और म.प्र.गृह निर्माण मंडल द्वारा 600 मकानों की योजना तैयार की है । नगर निगम को छोडकर शेष एजेंसियों की योजनाओं में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य शुरू कराया जावेगा ।

7. भोपाल के लिए नर्मदा जल आवर्धन योजना

7.1 भोपाल शहर की वर्ष 2021 की पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा रूपये 300 करोड़ की लागत से नर्मदा नदी के जल स्त्रोत पर आधारित भोपाल जल आवर्धन योजना को दिनांक 12.दिसंबर .2003 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है ।

7.2 वर्तमान में नगर निगम भोपाल द्वारा कोलार परियोजना बडे तालाब और टयूबवेल की सहायता से जल प्रदाय किया जा रहा है । किन्तु इन स्त्रोतों से उपलब्ध पेयजल भोपाल शहर की वर्ष 2006 तक की आबादी के लिए ही पर्याप्त हो सकेगा । इसे देखते हुए नर्मदा नदी से भोपाल के लिए पेयजल की दीर्घकालीन व्यवस्था की जाना ही एक मात्र विकल्प रह गया है ।

7.3 नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रीकल्स डेवलेपमेंट कार्पोरेशन द्वारा बनायी गयी इस परियेाजना को वर्ष 2009 तक क्रियान्वित किया जायेगा । योजना के क्रियान्वयन के लिए रूपये 100 करोड़ की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता से , रूपये 100 करोड की राशि हडकों से ऋण के रूप में ली जायेगी तथा रूपये 100 करोड़ की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा अपने स्त्रोतों से खर्च की जाना प्रस्तावित है । चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतीक प्रावधान भी कर लिया गया है । योजना के क्रियान्वयन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में एक सेल का भी गठन किया गया है ।

8. नगरों की जल प्रदाय योजनाएं

8.1 सामान्य जल आवर्धन योजना

नगरों की सामान्य जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक आबदी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 30 प्रतिशत और शासन/वित्तीय संस्था का ऋण 70 प्रतिशत के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । जबकि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 70 प्रतिशत और शासन/वित्तीय संस्था से 30 प्रतिशत राशि ऋणके रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।

वर्तमान में इसप्रकार की येाजनायें प्रदेश के 42 नगरों में क्रियान्वित की जा रही है । इनमें से 40 येाजनायें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा और भोपाल एवं देवास शहरों की योजनायें संबंधित निगमों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ।

8.2 केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित जल प्रदाय योजना

यह येाजना 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए है । योजना का वित्तीय स्वरूप निम्नानुसार है :–

1 भारत सरकार से 50 % अनुदान
2 राज्य सरकार से 45 % अनुदान
3 संबंधित निकाय का अंशदान 5 %

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान तक प्रदेश के 155 नगरों का चयन किया गया है । इनमें से 149 नगरों की योजनायें भारत सरकार को तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजी गई थी जिनमें से 128 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है । 21 शहरों की येाजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त होना है । स्वीकृत योजनाओं में से 108 येाजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अभी तक कुल 33 नगरों की योजनायें पूर्ण होकर संचालित है । 36 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है शेष शहरों की योजनायें बनाने और तैयार योजनाओं को क्रियान्वित करने के बारे में आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के स्तर पर की जा रही है ।

9. <u>सिंहस्थ 2004 उज्जैन</u>

9.1 सिंहस्थ कुंभ महापर्व का आयेाजन पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के मनोहारी पूर्वीतट पर बसी पवित्र उज्जयिनी नगरी में पौराणिक काल से होता चला आ रहा है । यह महापर्व मध्यप्रदेश राज्य की गौरवशाली परम्परा का महत्वपूर्ण अंग है जो प्रति 12 वर्षो में एक बार कुंभ पर्व के रूप में आयेाजित होता है ।

9.2 सिंहस्थ महात्म्य अनुसार जब गुरू सिंह राशि में ओर सूर्य मेष राशि में आता है तब उज्जयनी में सिंहस्थ (कुंभ) का आयोजन होता है । इसी परंपरा अनुसार इस वर्ष सिंहस्थ मेला 5 अप्रेल 2004 को प्रथम शाही स्नान के साथ प्रारंभ होकर 4 मई 2004 को अंतिम शाही स्नान के साथ सफलतापूर्वक और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो चुका है । इस महापर्व के दौरान दिनांक 19 और 24 अप्रेल को पर्व स्नान और दिनांक 5 तथा 22 अप्रेल और 4 मई को शाही स्नान भी आयोजित किए गए । सिंहस्थ 2004 मेले में लगभग 2.25 करोड श्रृद्वालुओं ने उज्जैन पहुंच कर मोक्षदायिनी क्षिप्रा में स्नान किया ।

9.3 सिंहस्थ 2004 में तीर्थ यात्रियों/साधु संतो आदि के क्षिप्रा तट पर निवास के दृष्टिगत सरकार द्वारा 2151.976 हेक्टर भूमि मेला क्षेत्र हेतु सुरक्षित की गई जिसकी अधिसूचना म.प्र.राजपत्र दिनांक 9 दिसंबर 1999 में प्रकाशित की गई ।

9.4 राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ से संबंधित कार्यो की स्वीकृति आदि के बारे में निर्णय लेने और विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यो की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद समिति का गठन किया गया । इसके अलावा केन्द्रीय समिति, स्थानीय समिति और उप समितियों का भी गठन किया गया जिनमें शासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण भी सदस्य नियुक्त किए गए । इन समितियों के अलावा स्वयं मुख्यमंत्रीजी, मुख्य सचिव, मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास (केवल सिंहस्थ 2004 कुभ मेला संबंधी कार्य), प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास और आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा भी सिंहस्थ की तैयारियों की सतत समीक्षा

और पर्यवेक्षण किया जाता रहा ।

9.5 इस महापर्व की तैयारी के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग रूपये 302.00 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है । कार्य येाजना में विभिन्न विभागों से संबंधित 571 महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए है । उज्जैन संभाग के अतिरिक्त आसपास के जिलों यथा इंदौर, देवास, खण्डवा (ओंकारेश्वर), खरगौन (महेश्वर) , मंदसौर आदि में आनेवाले श्रृद्वालुओं को मूलभूत सुविधाएं, यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित कार्य भी सिंहस्थ की कार्ययोजना में सम्मिलित किए गए ।

9.6 राज्य शासन का यह प्रयास रहा कि इस महापर्व में सम्मिलित होने वाले साधु संतो/तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुलभ हो साथ ही उज्जैन शहर में महापर्व के अवसर पर तीर्थयात्रियों के बढते दबाव के कारण उज्जैन के आम नागरिकों को भी कोई असुविधा न हो और उनका जीवन सामान्य बना रहे ।

9.7 पर्व की व्यवस्था के लिए तैयार की गई कार्ययोजना में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और दुर्घटनाओं से बचाव की दृष्टि से उज्जैन के 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की परिधि में बाहरी और अंदरूनी रिंग रोड का निर्माण, पंचक्रोशी मार्ग का निर्माण, यात्रियों की सुविधा और साधु संतो और उनके अनुयायियों के ठहरने आदि के लिए उज्जैन के आसपास 7 सैटेलाईट उपनगरों की येाजना, नए उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण, नए घाटों का निर्माण और पुराने घाटों/मंदिरों का जीर्णोद्वार, कुडों की सफाई, क्षिप्रा नदी में सिंहस्थ के दौरान स्नान हेतु पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के दृष्टिगत नदी के उदगम से उज्जैन तक 9 नए स्टापडेमों और पैण्टून ब्रिजों का निर्माण, पेयजल प्रदाय की व्यवस्था, शहर की साफ–सफाई, शोचालयों की व्यवस्था उज्जैन को जोडने वाले सभी मार्गो का सुधार निर्माण चोडीकरण सौन्दर्यीकरण आदि, स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से उज्जैन में ट्रामा यूनिट वाले अस्पताल का निर्माण और उपनगरों में अस्थाई चल चिकित्सालयों की व्यवस्था आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित किए गए । सभी कार्य निर्धारित मानकों, उत्तम गुणवत्ता और निर्धारित कैलेण्डर अनुसार समय सीमा में पूर्ण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ।

9.8 विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उज्जैन के कैम्प कर निर्माण कार्यो की प्रगति और यथा समय उनके क्रियाशील होने की समीक्षा की जाती रही । और सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेले के दौरान यातायात के लिए पुलिस होमगार्ड के जवान सी. आई.एस.एफ. की 11 कम्पनियां साफ सफाई व्यवस्था के लिए लगभग 5 हजार सफाई कर्मी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अन्य विभागों के लगभग 25 हजार कर्मचारियों ने सतत अत्यन्त निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं अर्पित की । विभिन्न नगरीय निकायों के 67 अग्निशमन वाहन मय अमले के नगर पालिक निगम उज्जैन में संलग्न किए गए थे । उपलब्ध कराये गये फायर वाहन 14 फायर

स्टेशनों पर 24 घंटे तैनात रहे । सिंहस्थ के दौरान हुए अग्नि काण्डों पर इस व्यवस्था के कारण त्वरित निराकरण किया जा सका । इसके अलावा विभाग ने पर्याप्त संख्या में जे.सी.बी. मशीन, डम्पर, फागिंग मशीने , टैक्टर ट्राली आदि उज्जैन में संलग्न किए । मेला क्षेत्र में लगभग 22 हजार अस्थाई शौचालयों, मूत्रालयों, स्नानागारों और वस्त्र परिवर्तन कक्षों का भी निर्माण किया गया ।

9.9 सिंहस्थ 2004 मेले के दौरान साधु संतो के अखाडों और गैर सरकारी संगठनों को मेले की अवधि के दौरान निशुल्क भूखण्ड पेयजल और विद्युत प्रदाय करने की भी व्यवस्था की गई ।

9.10 सिंहस्थ 2004 के प्रचार प्रसार के लिये बेबसाई भी तैयार की गई जिस पर ऋद्वालुओं को ऑन लाईन भस्म आरती दिखाए जाने की व्यवस्था की गई ।

9.11 मेले के दौरान अभूतपूर्व यातायात सुरक्षा और भीड प्रबंधन की व्यवस्था, उत्कृष्ट स्तर की साफ सफाई व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम, कीटनाशकों का छिडकाव, शुद्ध पेयजल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति और खाद्य और अन्य आवश्यक सामग्रियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गई । इसके अलावा मेला क्षेत्र और अन्य दर्शनीय स्थलों/ मंदिरों घाटों के आसपास और उज्जैन शहर में सडको के निर्माण, चौडीकरण, चौराहा विकास, बैरिकेडिग, मेला क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाई जाना, सीवर लाईन की सफाई एवं मरम्मत, रोड साइनेज लगाना आदि जन सुविधा के अनेक कार्य संपादित किए गए । राज्य शासन द्वारा यथा समय की गई इन व्यवस्थाओं के कारण सिंहस्थ 2004 मेला अत्यन्त सफलतापूर्वक संपन्न हुआ ।

10. ठोस अपशिष्ठ का निपटान

प्रदेश के बडे शहरों में ठोस अपशिष्ठ से खाद संयंत्र/विद्युत संयंत्र के निजि क्षेत्र की भागीदारी से स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं । विवरण निम्नलिखित अनुसार है :–

10.1 भोपाल और ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में 100 टन क्षमता के खाद बनाने के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं ।

10.2 इंदौर में 500 टन क्षमता के संयंत्र की स्थापना के लिये उद्यमी मेर्सस प्रोजेक्ट नेचर प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई से दिनांक 6 मार्च 2002 को अनुबंध हो गया है । नगर निगम द्वारा प्रथम चरण में 300 टन कचरा उपलब्ध कराया जायेगा । संयंत्र स्थापना के लिये 15 एकड भूमि उपलब्ध कराई गई है । संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

10.3 जबलपुर में खाद बनाने के संयंत्र की स्थापना के लिये म.प्र.एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उद्यमी मेसर्स महाकोशल फर्टिलाइजर प्रायवेट लिमिटेड को अनुमति दी गई है । नगर निगम द्वारा 4.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है । फेंसिग व पहुंच मार्ग निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है ।

10.4 भोपाल में शहरी ठोस अपशिष्ट से 10.8 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र की स्थापना नई दिल्ली के उद्यमी प्रतिष्ठान मेसर्स भोपाल इनवायरमेंटल प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है । संयंत्र की बिजली विक्रय से होने वाली आय का 5.4 प्रतिशत रायल्टी के रूप में नगर निगम को मिलेगा । उद्यमी को 2.5 वर्ष के लिये वाणिज्यिक कर से छूट मिलेगी ।

10.5 प्रदेश के अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों में जहां दैनिक ठोस अपशिष्ठ की मात्रा 50 टन या इससे कम है में भू–भरण (लेण्ड फिल) के द्वारा अपशिष्ठ के निपटान की व्यवस्था की जा रही हे ।

11 बरसात के पानी का भूमिगत संरक्षण

11.1 भूमि विकास नियम 1984 में 7 अप्रैल 2000 को किये गये संशोधन के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र तक के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान अनिवार्य किये गये थे जिसे संशोधित कर दिनांक 29.6. 2001 को 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया ।

11.2 नगरीय निकायों के क्षेत्रों में जिन भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जावेगी उन भवनों में प्रथम बार (एक वर्ष) के लिये सम्पत्ति कर में 6 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान दिनांक 23.3.2001 को लागू किया गया है ।

11.3 नगरीय निकायों द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा के साथ 18256 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान कर भवन अनुज्ञा जारी की गई । जिसके विरूद्व अब तक 1557 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किये जा चुके हैं ।

12. महिला सशक्तिकरण

12.1 केन्द्र प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये प्रदेश की नगरीय निकायों में महिलाओं की 512 सामुदायिक विकास समितियों (418 पंजीकृत) और 4465 पड़ोसी समितियों का गठन हो चुका है । इन समितियों में गरीब परिवारों की कुल 37707 महिलायें स्वयं सेविका के रूप में कार्य कर रही है । सामुदायिक विकास

समितियां हितग्राहियों की पहचान करने, आवेदन पत्र तैयार करने, वसूलीपर निगरानी रखने सहित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सम्पूर्ण कार्रवाई पर निगरानी महिलाओं के द्वारा ही की जा रही है ।

12.2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अभी तक गरीब महिलाओं की 2947 बचत एंव साख समितियों का गठन किया गया है जिसमें कुल सदस्य संख्या 37777 है । इन समितियों को शासन द्वारा कुल रूपये 186.11 लाख की आर्थिक सहायता (आवर्ती निधि) उपलब्ध कराई जा चुकी है और समूहों द्वारा रूपये 180.96 लाख की बचत की गई है ।

12.3 विभाग द्वारा वर्ष 2003–2004 में बचत एवं साख समिति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में कुल 2560 समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरूद्व वर्ष के दौरान कुल 1219 समितियां गठित की गई है । इन समितियों के माध्यम से शहरी गरीब महिला सदस्यों को आय उत्पादक गतिविधियों और स्वरोजगार के लिये आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

12.4 शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम में 18488 महिलाओं को रूपये 634.64 लाख की अनुदान राशि स्वरोजगार के लिये उपलब्ध कराई गई है । इसी प्रकार महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम में महिलाओं के 660 समूहों को रूपये 588.24 लाख की अनुदान राशि स्वरोजगार के लिये उपलब्ध कराई गई है । इसके साथ ही विभिन्न व्यवसाय चलाने के लिये 34822 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ।

12.5 विभाग द्वारा महिलाओं की भागीदारी और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिये इस वित्तीय वर्ष में 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किये जा चुके हें ।

12.6 विभाग द्वारा शहरों में महिलाओं के विरूद्व अपराध और यौन व्यापार को रोकने के लिये विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये हैं ।

12.7 प्रदेश की नगरीय निकायों में जनस्वास्थ्य स्वच्छता समितियों में एक महिला पार्षद को सदस्य के रूप में रखा गया है ।

12.8 सरकार की नीति अनुसार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिये एक महिला सहायक संचालक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है । इसी प्रकार संचालनालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिये प्रसाधन की प्रथक व्यवस्था की गई है ।

12.9 विभाग द्वारा महिलाओं के नाम से येाजना में पर्याप्त आवंटन दिया जा रहा है । वर्ष 2003–2004 में महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम अंतर्गत 66.31 लाख का आवंटन दिया गया है ।

(द) सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम

1. धार्मिक महत्व के नगरो को पवित्र नगरी घोषित किया जाना

1.1 राज्य शासन ने प्रदेश की धर्मालु जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के समन्वित विकास और इन स्थलों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए प्रदेश के निम्नांकित 4 शहरों को पवित्र नगरी घोषित करने की अधिसूचना जारी की है :–

1. उज्जैन
2. ओंकारेश्वर
3. अमरकंटक
4. महेश्वर

1.2 उपरोक्त चारों शहरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए संबंधित तीर्थस्थलों और ऐतिहासिक घरोहर को सुरक्षित रखने और उनके सुनियोजित विकास सहित पूरे शहर के समन्वित विकास के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है । जिसके अंतर्गत इन नगरों मे स्थित प्राचीन मंदिरों को चिन्हित कर उनका पंजीयन करते हुये उनका रख रखाव तथा जीर्णोद्वार करना, मुख्य मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में मांस–मदिरा के विक्रय का प्रतिबंधित करना, पशु–पक्षियों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, धर्मशाला एवं सुलभ शौचालय काम्पलेक्सों का निर्माण, सूचना केन्द्रों की स्थापना, मुख्य मंदिरों से 500 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र विभिन्न गतिविधियों के लिये प्रतिबंधित करना पवित्र नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, संस्कृत/संगीत विद्यालय की स्थापना, घाटों का निर्माण और मरम्मत , पुलिस चौकियों की स्थापना, नियमित बस सेवा प्रारंभ करना, उद्यानिकी, खेती और वृक्षारोपण, अवैध जंगल कटाई पर प्रतिबंध लगाना, केन्द्रीय पर्यटन की सूची में इन नगरों को शामिल कराना, अस्पतालों का विस्तार, गौशालाओं की स्थापना, एतिहासिक मंदिरों एवं नगर की पृष्ठभूमि पर साहित्य का प्रकाशन, धार्मिकस्थल के साथ साथ ऐसे स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना इत्यादि कार्य प्राथमिकता पर कार्ययोजना में सम्मिलित किये गये हैं ।

1.3 इन सभी कार्यो के क्रियान्वयन के लिये सभी संबंधित विभागों द्वारा कार्ययेाजना तैयार की जा रही है । यह लक्ष्य है कि अगले दो–तीन माह में इस योजना को प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

2. विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना

2.1 विभाग द्वारा माह दिसंबर 2003 के अंत में प्रदेश की नगरीय निकायों को 14 बिन्दुओं पर कार्रवाई के लिये 100 दिन की कार्ययोजना भेजी गई थी, कार्ययोजना में निम्नांकित विषय सम्मिलित किये गये थे :–

1. स्वच्छता अभियान
2. अतिक्रमणों की रोकथाम
3. पार्किंग स्थलों का विकास
4. शुष्क शौचालयों का जलवाहित शौचालय में परिवर्तन
5. शहरों में सब्जी मंडियॉ विकसित करना
6. पेयजल व्यवस्था
7. सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था
8. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना
9. गरीबी उपशमन योजना
10. करारोपण
11. स्वास्थ्य
12. आवारा पशुओं का नियंत्रण
13. कार्यालय भवनों का रख–रखाव
14. शवदाह गृह/कब्रिस्तानों का विकास

2.2 विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को कार्ययोजना के क्रियान्वयन का समन्वयन करने के लिये कहा गया था और उपलब्धि का पाक्षिक प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रदेश स्तर पर उसकी समीक्षा करने की व्यवस्था लागू की गई ।

3. विभाग की वर्ष 2004–05 की कार्ययोजना

विभाग द्वारा जारी 100 दिन की कार्ययोजना को विस्तार देते हुए निम्नांकित नये विषयों को जोडकर वर्ष 2004–2005 की नई कार्ययोजना जारी की गई है :–

1. अवैध कालोनियों का नियमितिकरण
2. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
3. स्वरोजगार कार्यक्रम के हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए स्थान उपलब्ध कराना
4. निगमों का कम्प्यूटरीकरण और द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली

इस कार्ययोजना की उपलब्धि की समीक्षा प्रतिमाह राज्य स्तर पर करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है ।

4. मध्यान्ह भोजन और भोजन केन्द्र का क्रियान्वयन

4.1 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

सरकार की नीति अनुसार प्रदेश के शासकीय और शासन से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाले पके हुये भोजन उपलब्ध कराने की परिवर्तित व्यवस्था दालरोटी सब्जी–रोटी अथवा दाल चावल/दाल–चावल सब्जी) को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 60 नगरीय निकायों में 15 जनवरी 2004 से प्रारंभ किया गया । इसी प्रकार 1 फरवरी 2004 से आदिवासी क्षेत्र की सभी 682 प्राथमिक शालाओं में पका हुआ भोजन दिया जाना प्रारंभ हो चुका है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी गैर आदिवासी शहरी क्षेत्रों की सर्वाधिक पिछड़ी दलित बस्ती की एक शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त 277 नगरीय निकायों की एक एक शाला में मध्यान्ह भोजन प्रदाय करना प्रारंभ कर दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 1 जुलाई 2004 से प्रदेश के सभी शासकीय और शासन से सहायता प्राप्त 16846 प्राथमिक शालाओं में कुल 17.36 लाख छात्रों को भोजन वितरीत किया जायेगा ।

4.2 भोजन केन्द्र कार्यक्रम

शहरी गरीबों को 5 रूपयें में समन्वय के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने के लिये 26 जनवरी 2004 से प्रदेश के 31 नगरों में भोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ये भोजन केन्द्र स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रेरित कर उनके सहयोग से स्थापित कराये गये हैं, जिनकी देखरेख स्वयं सेवी संस्थाएं स्वयं कर रही हैं ।

(ई) कर्मचारी कल्याण योजनायें

1. नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन योजना

नगरीय निकायों के कर्मचारियों के लिये प्रदेश सरकार ने अलग से पेशन निधि का गठन किया है, जिसमें कर्मचारियों के वेतनमान के 12 प्रतिशत की दर से नगरीय निकायों से अंशदान लिया जाता है । आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास इस कोष के नियंत्रक हैं ।

इस योजना के तहत मार्च 2004 तक पेंशन/परिवार पेंशन के कुल 9486 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं । चालू वित्त वर्ष में ऐसे 811 प्रकरण स्वीकृत किये गये

हैं । नगरपालिक निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सिंगरौली, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम अपनी स्वयं की पेंशन योजनायें चला रहे हैं ।

2. परिवार कल्याण योजना

इस योजना के तहत नगरीय निकायों के सभी कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन से मासिक अभिदान देय होता हे । योजनांतर्गत सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर निम्नानुसार राशि का भुगतान किया जाता है :–

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान की राशि रूपयों में	दावेदार को भुगतान की जाने वाली राशि रूपयों में
1	प्रथम श्रेणी	160.00	1,60,000.00
2	द्वितीय श्रेणी	120.00	1,20,000.00
3	तृतीय श्रेणी	100.00	1,00,000.00
4	चतुर्थ श्रेणी	60.00	60,000.00
5	सफाई कामगार	30.00	30,000.00

चालू वित्तीय वर्ष में कुल 415 प्रकरण स्वीकृत कर रूपये 85,55,569 का भुगतान किया गया है ।

3. सफाई कामगारों की समूह बीमा योजना

प्रदेश के नगरीय निकायों में काम करने वाले सफाई कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सफाई कामगार समूह बीमा योजना लागू की गई है जिसमें कामगारों के वेतन से नाममात्र की कटौती की जाती है तथा वार्षिक प्रीमियम शासन द्वारा वहन किया है, सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर कामगार के आश्रितों को सामान्य मृत्यु पर रूपये 50,000/– तथा दुर्घटनावश मृत्यु होने की दशा में अतिरिक्त रूपये 50,000/– का भुगतान किया जाता है ।

:: भाग चार ::

अन्य प्रशासनिक मामले

1. नगरीय निकायों के निर्वाचन

प्रदेश में नगरीय निकायों के दूसरे आम चुनाव दिसम्बर 1999 में सम्पन्न हुए थे । इसके बाद वर्तमान तक नगरीय निकायों के हुए निर्वाचनों का विवरण इस प्रकार है :–

सरल क्रमांक	वर्ष	निकाय		
		नगर निगम	नगर पालिका	नगर पंचायत
1	2000	1. उज्जैन	1. मंदसौर	1. ओरछा 2. धुवारा 3. भेड़ाघाट 4. चाकघाट 5. कोटर
2	2001	–	1. मण्डीदीप 2. हरदा 3. पसान	1. ईसागढ 2. रानापुर 3. माण्डव 4. अमरकंट
3	2002	–	1. राघोगढ–विजयपुर 2. पीथमपुर 3. उमरिया	1.नरवर 2. औंकारेश्वर 3. अनूपपुर 4. जैतहरी
4	2003	–	1. मलाजखण्ड 2. सीधी	1. सांची 2. भैसदेही 3. चुरहट
5	2004	–	–	1. टोकखुर्द 2. पीपलरवां

2. नगरीय निकायों के अगले आम चुनाव माह दिसंबर 2004 में होगें । विभिन्न श्रेणी की जिन 309 निकायों के निर्वाचन होना है, उनका विवरण इस प्रकार है :–

1.	नगर पालिक निगम	13
2.	नगर पालिका परिषद	77
3.	नगर पचांयत	219

2. महापौरों/अध्यक्ष को वापिस बुलाया जाना

प्रदेश की नगर पालिक विधि में मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित नगरपालिक निगमों के महापौरों और नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों के अध्यक्षों को मतदाताओं द्वारा मतदान के जरिये वापिस बुलाये जाने की गई व्यवस्था प्रदेश में सफलतापूर्वक जारी है । अभी तक महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने हेतु सम्पन्न कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट–5 पर है ।

3. नगरीय निकायों में अंकेक्षण की व्यवस्था

नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश के द्वारा किया जाता है । वर्ष के दौरान निराकृत आपत्तियों की संभागवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	संभाग का नाम	कुल आडिट आपत्तियों की संख्या	निराकृत आडिट आपत्तियां	शेष
1	रीवा	15141	5203	9938
2	इंदौर	18970	2413	16557
3	जबलपुर	12786	2172	10614
4	ग्वालियर	18298	3297	15001
5	उज्जैन	21064	4194	16870
6	भोपाल	19389	2157	17232
7	सागर	15832	2504	13328
	योग	121480	21940	99540

4. विभागीय जाचं प्रकरण

विभाग के अधीन मार्च 2003 तक राज्य नगरपालिका सेवा के कुल 64 अधिकारियों के विरूद्व विभागीय जांच के प्रकरण प्रचलित थे। इन प्रकरणों की संभागवार स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संभाग का नाम	विभागीय जांच प्रकरण	सरकार के विचाराधीन प्रकरण
1	भोपाल	15	11
2	इंदौर	4	6
3	उज्जैन	5	3
4	सागर	7	1

5	जबलपुर	3	6
6	ग्वालियर	3	1
7	रीवा	9	2
	योग	46	30

5. कार्मिक मामलों का निराकरण

5.1 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं उसके अधिनस्थ कार्यालयों के मामले

संचालनालय तथा संभागीय कार्यालयों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.1.2004 को आयोजित कर संचालनालय के 10 तथा संभागीय कार्यालय के 5 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है । जिसमें बैकलाक के 3 पदों की पूर्ति की गई है ।

5.2 नगरपालिका सेवा के कर्मचारियों के मामले

प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बैकलाग के पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत कुल रिक्तियों (605 अनुसूचित जाति, 1087 अनुसूचित जनजाति तथा 1339 सफाई कामगार) में से 171 अनुसूचित जातियों, 256 अनुसूचित जनजाति तथा 342 सफाई कामगार इस प्रकार कुल 769 पदों की पूर्ति की गई है ।

6. विधानसभा को भेजे गये उत्तर

वर्ष 2003–2004 के दौरान विभाग द्वारा विधानसभा सचिवालय को भेजे गये उत्तर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	विधान सभा सत्र	विधान सभा प्रश्न	विधान सभा याचिकाएं	शून्यकाल में उठाये गये मुद्दे	अशासकीय संकल्प	स्थगन	ध्याना–कर्षण सूचनाएं	आश्वा –सन
1	फरवरी–मार्च 2003	392	02	20	05	04	44	65
2	जुलाई–अगस्त 2003	109	03	07	01	04	12	11
3	दिसंबर 2003	–	–	–	–	–	–	–
4	फरवरी मार्च	29	02	02	–	03	17	08

	2004							

परिशिष्ट–एक

नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कटिजेन्सी	कुल	नियमित	कटिजेन्सी	कुल	नियमित	कटिजेन्सी	कुल	
1	आयुक्त	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
2	संयुक्त संचालक	3	–	3	3	–	3	–	–	–	
3	उप संचालक	5	–	5	5	–	5	–	–	–	
4	सहायक संचालक	3	–	3	3	–	3	–	–	–	
5	सांख्यिकी अधिकारी	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
6	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
7	अधीक्षक	2	–	2	1	–	1	1	–	1	
8	सहायक अधीक्षक	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
9	वरिष्ठ सहायक	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
10	लेखा अधिकारी एस.ए.एस	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
11	लेखा अधिकारी /कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	–	2	1	–	1	1	–	1	
12	चुंगी लेखापाल एस.ए.एस.	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
13	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
14	निज सहायक ग्रेड–2	2	–	2	1	–	1	1	–	1	
15	शीघ्रलेख गेड–3	5	–	5	5	–	5	–	–	–	
16	सहायक वर्ग–एक	17	–	17	15	–	15	2	–	2	
17	लेखापाल	7	–	7	4	–	4	3	–	3	
18	सहायक वर्ग–दो	15	–	15	15	–	15	–	–	–	
19	स्टेनो टायपिस्ट	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
20	सहायक	30	–	30	30	–	30	–	–	–	

	वर्ग–तीन										
21	वाहन चालक	5	2	7	6	–	6	–	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्येत्तर होने से अधिक है ।
22	दफ्तरी	4	–	4	4	–	4	–	–	–	
23	भृत्य	16	–	16	15	–	15	1	–	1	
24	फर्राश सह चौकीदार	7	–	7	10	–	10	–	–	–	3 फर्राश सांख्येत्तर होने से अधिक है
25	हेल्पर	1	2	3	1	–	1	–	2	2	
26	चौकीदार	–	1	1	–	–	–	–	1	1	
	योग										

संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कटिजेन्सी	कुल	नियमित	कटिजेन्सी	कुल	नियमित	कटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
3	सहायक वर्ग–एक	20	—	20	19	—	19	1	—	1	
4	सहायक वर्ग–दो	21	—	21	21	—	21	—	—	—	
5	लेखापाल	7	—	7	6	—	6	1	—	1	
6	सहायक वर्ग–तीन	28	—	28	21	—	21	7	—	7	
7	स्टेनो टायपिस्ट	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
8	वाहन चालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
9	भृत्य	14	—	14	15	—	15	—	—	—	न्यायालय के आदेशानुसार रीवा संभाग में 01 भृत्य अधिक कार्यरत है ।
	योग										

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	38	36	2	प्रतिनियुक्ति से
2	सहायक परियोजना अधिकारी	51	50	1	प्रतिनियुक्ति से
3	कनिष्ठ लेखाधिकारी	38	30	8	प्रतिनियुक्ति से
4	आशुलिपिक	27	27	—	—
5	वाहन चालक	20	20	—	—
6	भृत्य	90	—	—	—
7	फरार्श सह चौकीदार	36	—	—	—
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 2000 प्रतिमाह)	388	272	116	संविदा नियुक्ति
	योग	688	435	127	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1	2	3	4	5
1. ग्वालियर संभाग	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भिरतवार
	2. भिण्ड		2. भिण्ड 3. गोहद	5. मेहगांव 6. लहार 7. गोरमी 8. अकोड़ा 9. मिहोना 10. आलमपुर 11. दबोह 12. मौ 13. फूफकलां
	3. मुरैना		4. मुरैना 5. अम्बाह 6. पोरसा 7. सबलगढ.	14. जौरा 15. कैलारस 16. झुण्डपुरा 17. बामौर
	4. श्योपुरकलां		8. श्योपुरकलां	18. विजयपुर 19. बड़ौदा
	5. शिवपुरी		9. शिवपुरी	20. करेरा 21. कोलारस 22. खनियाधाना 23. पिछोर 24. बदरवास 25. नरवर
	6. गुना		10. गुना 11. राधोगढ़	26. चाचौड़ा बीनागंज 27. आरोन 28. कुंभराज

	7.अशोकनगर		12.अशोकनगर 13.चंदेरी	29. मुगावली 30. ईसागढ
	8. दतिया		14. दतिया	31. भांण्डेर 32. इंदरगढ़ 33. सेवड़ा
2. इंदौर संभाग	9. इंदौर	2. इंदौर		34. देपालपुर 35. सांवेर 36. गौतमपुरा 37. बेटमा 38. राऊ 39. हातौद 40. मानपुर 41. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17.पीथमपुर	42. राजगढ़ 43. कुक्षी 44. बदनावर 45. धरमपुरी 46. धामनौद 47. सरदारपुर 48. मांडव
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	49. अंजड़ 50. राजपुर 51. खेतिया 52. पानसेमल
	12. झाबुआ		20. झाबुआ 21.आलीराजपुर	53. जोबट 54. थांदला 55. पेटलावद 56. भावरा 57. रानापुर
	13. पश्चिम निमाड़		22. खरगौन 23. सनावद 24.बड़वाह	58. मण्डलेवर 59. कसरावद 60. भीकनगांव 61. महेश्वर
	14. पूर्व निमाड़	3. खंडवा		62. मूंदी 63. पंधाना 64. ओंकारेश्वर 65. हरसूद

	15.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25.नेपानगर	66. शाहपुर
3. उज्जैन संभाग	16. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27.महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	67. तराना 68. उन्हेल
	17. नीमच		30. नीमच	69. मनासा 70. रामपुरा 71. जावद 72. जीरन 73. रतनगढ़ 74. सिंगोली 75. डिकेन
	18. देवास	6. देवास		76. कन्नौद 77. सोनकच्छ 78. खातेगांव 79. हाटपिपल्या 80. बागली 81. भौरासा 82. करनावद 83. काटाफोड़ 84. लोहारदा 85. सतवास 86. टोकखुर्द 87. पिपलरंवा
	19. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	88. नलखेड़ा 89. मक्सी 90. बड़ौद 91. कानड़ 92. अकोदिया 93. सुसनेर 94. सोयतकलां 95. बड़ागांव 96. पोलायकलां
	20. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	97. ताल 98. सैलाना 99. आलोट

				100. नामली 101. बड़ावदा 102. पिपलौदा
	21. मंदसौर		35. मंदसौर	103. शामगढ़ 104. सीतामऊ 105. पिपल्यामंडी 106. नारायणगढ़ 107. मल्हारगढ़ 108. भानपुरा 109. नगरी 110. गरोठ
4. भोपाल संभाग	22. भोपाल	8. भोपाल		111. बैरसिया
	23. सीहोर		36. सीहोर 37. आष्टा	112. इछावर 113. बुदनी 114. जावर 115. नसरूल्लागंज 116. रेहटी
	24. रायसेन		38. रायसेन 39. बेगमगंज 40.मण्डीदीप	117. औबदुल्लागंज 118. सुल्तानपुर 119. बरेली 120. बाड़ी 121. सांची 122. उदयपुरा
	25. विदिशा		41. विदिशा 42.गंजबसौदा 43. सिरोंज	123. कुरवाई 124. लटेरी
	26. होशंगाबाद		44. होशगाबाद 45. इटारसी 46सिवनीमालवा 47. पिपरिया	125. बाबई 126. सोहागपुर
	27. हरदा		48. हरदा	127. टिमरनी 128. खिड़किया
	28. बैतुल		49. बैतुल 50. आमला 51. सारणी	129. मुलताई 130. बैतुल बाजार 131. भैंसदेही

	29. राजगढ़		52. नरसिंहगढ़ 53. सारंगपुर 54. ब्यावरा	132. राजगढ़ 133. जीरापुर 134. खिलचीपुर 135 तलेन 136 बोड़ा 137. खुजनेर 138. पचोर 139. सुठालिया 140. माचलपुर 141.छापीहेड़ा
5. सागर संभाग	30. सागर	9. सागर	55. बीना इटावा 56. खुरई 57. गढ़ाकोटा 58. रेहली 59. देवरी	142. राहतगढ़ 143. बंडा 144. शाहपुर 145. शाहगढ़
	31. दमोह		60. दमोह 61. हटा	146. तेंदुखेड़ा 147. पथरिया 148. हिन्डोरिया
	32. पन्ना		62. पन्ना	149. अमानगंज 150. देवेन्द्र नगर 151. अजयगढ़ 152. ककरहटी 153. पवई
	33. छतरपुर		63. छतरपुर 64. नौगांव	154. धुवारा 155. सटई 156. बारीगढ़ 157. महाराजपुर 158. बिजावर 159. गढ़ीमल्हरा 160. बक्सवाहा 161. चंदला 162. बड़ामल्हरा 163. हरपालपुर 164. लौंडी 165. खजुराहो 166. राजनगर

	34. टीकमगढ़		65. टीकमगढ़	167. निवाड़ी 168. पृथ्वीपुर 169. बल्देवगढ़ 170. खरगापुर 171. पलेरा 172. जैरोनखालसा 173. तरीचरकलां 174. जतारा 175. लिधोराखास 176. बड़ागांव 177. कारी 178. ओरछा
6. रीवा संभाग	35. रीवा	10. रीवा		179. बैंकुंठपुर 180. मउगंज 181. त्यौंथर 182. हनुमना 183. चाकघाट 184. गोविन्दगढ. 185. नईगढ़ी 186. सिरमौर 187. मनगवां 188. सेमरिया 189. गुढ़
	36. सीधी	11. सिंगरौली	66. सीधी	190. चुरहट 191. रामपुरनेकिन
	37. सतना	12.सतना	67. मैहर	192. नागौद 193. बिरसिंहपुर 194. जैतवारा 195. कोटर 196. कोठी 197. अमरपाटन 198. रामपुर–बघेलान 199. उचेहरा 200. चित्रकुट
	38. शहडोल		68. शहडोल 69. धनपुरी	201. बुढ़ार 202. ब्यौहारी 203 जयसिंहनगर 204. खाण्ड

	39.अनूपपूर		70.कोतमा 71.पसान	205.अनूपपर 206.जैतहरी 207.बिजूरी 208.अमरकंटक
	40. उमरिया		72. उमरिया	209. चंदिया 210. नौरोजाबाद 211.. पाली
7. जबलपुर संभाग	41. जबलपुर	13. जबलपुर	73. पनागर 74. सिहोरा	212. बरेला 213. भेड़ाघाट 214. शाहपुरा 215. पाटन 216. मझौली 217. कटंगी
	42. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		218. बरही 219. कैमोर 220. विजयराधवगढ़
	43. बालाघाट		75. बालाघाट 76.वारासिवनी 77.मलाजखंड	221. कटंगी 222. बैहर
	44. छिन्दवाड़ा		78.छिन्दवाड़ा 79. पांढुर्ना 80.जुनारदेव जामई 81.डोगरपरासिया	223. हर्रई 224. चोरई 225. लोधीखेड़ा 226. सौंसर 227. न्यूटन चिखली 228. अमरवाड़ा 229. चांदामेटा बुटारिया 230. मोहगांव
	45. नरसिंहपुर		82.नरसिंहपुर 83.गाडरवारा	231. गोटेगांव 232. करेली
	46. सिवनी		84. सिवनी	233. लखनादोन 234. बरघाट
	47. मंडला		85. मंडला 86. नैनपुर	235. बम्हनीबंजर
	48. डिण्डोरी			236. डिण्डोरी 237. शाहपुरा

नगरपालिका परिषद	**86**
नगर पंचायत	**237**
योग	**337**

परिशिष्ट–तीन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

बजट वर्ष 2003–2004 **(रू.लाख में)**

क.	मद	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय
	(अ)आयोजना सामान्य योजना			
1	झुग्गी झोपडी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादी की व्यवस्था के लिये	96.15	86.54	86.54
2	शहरी गंदी बस्तियों में झुग्गीयों के विस्थापन एवं पुर्नस्थापन एवं पय्रावरण सुधार	34.68	31.21	31.21
3	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अ. राज्यांश ब. केन्द्राश	 687.87 817.00	– 383.78 –	– 383.78
4	अन्य विकास कार्य			
	अनुदान	283.30	254.97	254.97
	ऋण	84.00	75.60	75.60
5	शुष्क शौचालय को फलश में परिवर्तन	10.00	9.00	9.00
6	प्रशिक्षण	16.00	14.40	11.90
7	निजि कालोनियों में 15 प्रतिशत भूमि का मुआवजा	20.55	18.50	18.50
8	सूचना/प्रोद्योगिकी से संबंधित कार्य	5.00	4.50	–
9	केन्द्र क्षेत्रीय योजना गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम			
	अनुदान	693.00	623.70	470.40

	ऋण	1617.00	1455.30	1097.60
10	ग्यारहवा वित्त आयोग की अनुशंसाानुसार अनुदान	1755.00	1755.00	1755.00
11	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था	15142.61	15142.61	14497.83
	सामान्य योजना योग	21262.16	19855.11	18692.33
विशेष घटक योजना				
1	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा येाजना	7.00	6.30	6.30
2	सफाई व्यवस्था सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य			
	अनुदान	95.00	85.50	85.50
	ऋण	5.00	4.50	4.50
3	शुष्क शौचालयों को फलश शोचालयों में परिवर्तन	226.00	203.40	203.40
4	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार येाजना	106.00	95.40	95.40
5	ग्यारहवां वित्त आयेाग की अनुशंसाानुसार अनुदान	437.00	437.00	437.00
6	झुग्गी झोपडी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादित की व्यवस्था के लिए	24.00	21.60	21.60
	विशेष घटक योजना योग	900.00	853.70	853.70
आदिवासी उपयोग				
1	झुग्गी झोपडी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था के लिए	28.50	25.65	25.65
2	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	84.50	76.05	76.05
3	ग्यारहवा वित्त आयोग	350.00	350.00	350.00
	आदिवासी उपयोजना योग	463.00	451.70	451.70
	आयोजना महायोग (अ)	22625.16	21160.51	19997.73
(ब) आयोजनेत्तर				
1	जलप्रदाय गृहों का संधारण अनुदान	3168.77	2144.05	2125.17
2	चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	36561.15	36561.15	30885.87

3	यात्री कर विशेष अनुदान	6202.64	5058.14	5058.14
4	सडक मरम्मत अनुरक्षण अनुदान	5554.39	4154.41	4154.41
	म.प्र.अपमिश्रण निवारण			
5	मुद्रांक शुल्क	1846.65	1846.65	1846.65
6	वाणिज्य कर पर 10 प्रतिशत अधिभार की राशि	13217.68	8976.02	8976.02
7	राज्य वित्त आयोग	3222.78	3222.78	3222.78
8	ऋण	325.00	292.50	—
	आयोजनेत्तर महायोग (ब)	70099.06	62255.70	56269.04
	महायोग आयोजनेत्तर+आयोजना (अ+ब)	92724.22	83416.21	76266.77

परिशिष्ट–चार

राजीव स्वालबन येाजना

जिलों में दुकानों के निर्माण संबंधी विवरण

कं.	जिले का नाम	दुकानों की संख्याओं का विवरण				गुमटियों का आवंटन/प्रस्ताव
		प्रस्तावित दुकानें	आवंटित दुकानें	आवंटन योग्य दुकानें	निर्माणाधीन दुकानें	
1	मुरेना	105	24	14	20	
2	श्योपुर	30		15	10	
3	भिण्ड	81				
4	ग्वालियर	90			70	
5	शिवपुरी	50		15	5	
6	गुना	105	29		20	
7	दतिया	35				
8	भोपाल	110				
9	सीहोर	66		5	5	
10	बैतूल	85		10		
11	राजगढ	126	19	36	23	
12	विदिशा	163		15	46	
13	रायसेन	115			26	
14	होशंगाबाद	90		4	34	
15	हरदा	35		25	6	
16	इंदौर	40				
17	धार	134				
18	खरगौन	138		5		
19	बडवानी	58	5			
20	खण्डवा	105		29	20	35
21	झाबुआ	67	15			
22	उज्जैन	270	11	60	15	
23	रतलाम	174	15	45		7
24	देवास	187	24	30	1	
25	मंदसौर	72	67	36	5	33
26	नीमच	55	5	30	30	20
27	शाजापुर	105	10	90	11	
28	सागर	147	10	10	16	
29	पन्ना	45				
30	टीकमगढ	80		10	5	
31	दमोह	86				
32	छतरपुर	105	5	10		
33	जबलपुर	149		30	10	
34	कटनी	82		30	30	
35	मंडला	94	11	11		
36	डिंडोरी	11				
37	नरसिंहपुर	50				
38	बालाघाट	88	20			9
39	छिंदवाडा	175				
40	सिवनी	30		10	20	
41	रीवा	388				
42	शहडोल	146				

43	उमरिया	25				
44	सीधी	64	6	11	5	
45	सतना	490		63	15	
	योग	4946	276	649	448	104

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2003–2004

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग